(64)

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2898/विधि सहरसा, दिनांक 29-9-2023

प्रतिलिपि :- श्री बैजनाथ चौधरी, पिता-स्व0 महताब चौधरी, सा0-मोजहा, अंचल+थाना-किशनपुर, जिला-सुपौल को आयुक्त न्यायालय के जमाबंदी रद्दीकरण पुन0 वाद सं0-97/2023 में दिनांक 27.09.2023 को पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

29/9

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0...से...तक

जिला..., सं0..., सन् १९...

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
27/09/2023	**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा** **जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद संख्याः-97/2023** **बैजनाथ चौधरी........................अपीलकर्त्ता** **-बनाम-** **राज्य एवं अन्य............................रेसपॉण्डेन्ट** **-:: आदेश ::-** प्रस्तुत विविध वाद बैजनाथ चौधरी, पिता-स्व0 महताब चौधरी, सा0-मोजहा, अंचल+थाना-किशनपुर जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय अपर समाहर्त्ता, सुपौल के नामांतरण पुनरीक्षण वाद सं0-151/2022 में दिनांक 30.05.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। नामांकन के बिन्दु पर सुनवाई के क्रम में निम्न न्यायालय आदेश के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत वाद निम्न न्यायालय के द्वारा नामांतरण पुनरीक्षण वाद के विरूद्ध द्वितीय पुनरीक्षण के रूप में लाया गया है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 में द्वितीय पुनरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं रहने के कारण उक्त वाद इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः **Non- jurisdiction** के आधार पर इस वाद को खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें। (हस्ताक्षर) 27/9/23 प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 27/9/23. प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	